न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

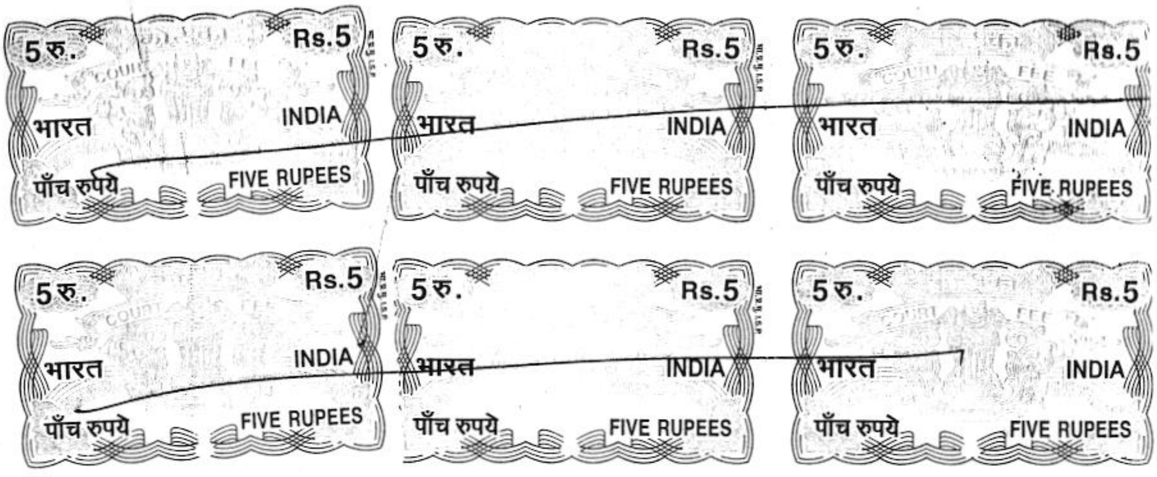

R-164-II-17

रामेश्वर प्रसाद शुक्ला तनय आदित्यनाथ शुक्ला उम्र– 78 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– अमिलिया, थाना– अमिलिया, तह0– सिहावल, जिला– सीधी (म.प्र.)

––––––––– पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. मुद्रिका प्रसाद शुक्ला तनय बैजनाथ राम शुक्ला उम्र– 68 वर्ष, पेशा– खेती,
2. चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला तनय बैजनाथ राम शुक्ला उम्र– 62 वर्ष, पेशा– खेती,
3. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय बैजनाथ राम शुक्ला उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती,

सभी निवासी ग्राम– अमिलिया, थाना– अमिलिया, तह0– सिहावल, जिला– सीधी (म.प्र.)

–––– गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री ... द्वारा आज दि. 6.1.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तह0– सिहावल, जिला– सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 300/अ–27/2015–16 आदेश दिनांक– 31.12.2016

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्न हैः–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया तथ्य व सहज न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त को ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(11)

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-104/अ/17/सीधी

रामेश्वर / मुद्रिका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
02/01/19	आवेदक की ओर से श्री कुँवर सिंह कुशवाह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार -सिहावल के प्रकरण क्रमांक 300/अ-27/15-16 में पारित आदेश दिनांक 31-12-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला -सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18/04/19 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	